मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः19.05.2025

थाना लालगंज व एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा 300 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 04 अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गिरफ्तार, शराब तस्करी में प्रयुक्त 02 कार सीज-

“सोमेन बर्मा” वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर द्वारा जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने तथा अवैध रूप से मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान में प्रभावी कार्यवाही करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिया गया है।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना लालगंज पुलिस व एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दिनांकः 18.05.2025 को मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना लालगंज व एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा थाना लालगंज क्षेत्रांतर्गत ग्राम चेरूईराम, नेशनल हाईवे से सघन चेकिंग कर स्विफ्ट डिजायर कार अंकित वाहन संख्याः BR 01 PR 0169 व विन्टो कार संख्या HR 26 BK 6586 सवार 04 अभियुक्तगण 1. दीपनारायण यादव पुत्र मुन्सी राय निवासी राजीवनगर थाना राजीव नगर जनपद पटना बिहार, 2. रोहन सिंह पुत्र सचेन्द्र सिंह निवासी राजीवनगर थाना राजीवनगर जनपद पटना बिहार, 3. गोलू कुमार पुत्र लालबाबू राय निवासी दिग्घा थाना दिग्घा जनपद पटना बिहार व 4. रोहन कुमार पुत्र मदन प्रसाद निवासी कुण्जी थाना दिग्घा जनपद पटना बिहार को गिरफ्तार किया गया। बरामद वाहन की तलाशी ली गयी तो उपरोक्त वाहन स्विफ्ट डिजायर से 48 बोतल (प्रत्येक बोतल 750ml) व वाहन विन्टो कार से 252 बोतल (प्रत्येक बोतल 750ml) अवैध अंग्रेजी शराब (कुल 300 बोतल अंग्रेजी शराब) बरामद हुई। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना लालगंज पर मु0अ0स0-198/2025 धारा 63/72 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्त को मा0न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है तथा शराब तस्करी में प्रयुक्त उपरोक्त दोनों वाहनों को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

पूछताछ विवरण — गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि उनके द्वारा फरीदाबाद हरियाणा से अवैध अंग्रेजी शराब बिहार ले जाकर ऊंचे दामों पर बिक्री कर देते है। अवैध शराब को उक्त दोनों वाहनों में छिपाकर ले जा रहे थे कि पुलिस द्वारा हम लोगो को पकड़ लिया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त—

1. दीपनारायण यादव पुत्र मुन्सी राय निवासी राजीवनगर थाना राजीव नगर जनपद पटना बिहार, उम्र करीब 23 वर्ष।

2. रोहन सिंह पुत्र सचेन्द्र सिंह निवासी राजीवनगर थाना राजीवनगर जनपद पटना बिहार, उम्र करीब 19 वर्ष।

3. गोलू कुमार पुत्र लालबाबू राय निवासी दिग्घा थाना दिग्घा जनपद पटना बिहार, उम्र करीब 21 वर्ष।

4. रोहन कुमार पुत्र मदन प्रसाद निवासी कुण्जी थाना दिग्घा जनपद पटना बिहार, उम्र करीब 24 वर्ष।

बरामदगी विवरण —

☐ कुल 300 बोतल (प्रत्येक बोतल 750ml) अंग्रेजी शराब

☐ स्विफ्ट डिजायर कार अंकित वाहन संख्याः UP 65 AS 4324

☐ विन्टो कार अंकित वाहन संख्या HR 26 BK 6586

पंजीकृत अभियोग —

मु.अ.स. 198/2025 धारा 63/72 आबकारी अधिनियम थाना लालगंज मीरजापुर।

गिरफ्तारी स्थान, दिनांक–

थाना लालगंज क्षेत्रांतर्गत ग्राम चेरूईराम के पास नेशनल हाइवे से दिनांक 18.05.2025 को समय करीब 21.25 बजे।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

☐ थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह मय पुलिस टीम थाना लालगंज जनपद मीरजापुर।

☐ निरीक्षक राजीव कुमार सिंह प्रभारी एस.ओ.जी. मय पुलिस टीम।

☐ उप निरीक्षक मानवेन्द्र सिंह प्रभारी सर्विलांस मय पुलिस टीम।